न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 293/2022

प्रार्थी :–

1. तेजराज पुत्र हरीराम जाति सोनी निवासी धुंधाडा हाल बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मिश्राराम पुत्र खेताराम जाति भील के कायम मुकाम
   1/1. खीमाराम पुत्र मिश्राराम
   1/2. धनाराम पुत्र मिश्राराम
   1/3. पारस पुत्र मिश्राराम
   1/4. जगदीश पुत्र मिश्राराम
   1/5. ठाकराराम पुत्र मिश्राराम सभी जातियान भील निवासी पचपदरा
2. हुकमाराम पुत्र तुलसाराम जाति जाट निवासी श्रवणनाडी तह0 गिडा जिला बाडमेर।
3. बाबुराम पुत्र प्रभुराम जाति राईका निवासी पचपदरा जिला बाडमेर।
4. .राज0 सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0
बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री जेठुलाल कुमावत प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थीगण एकतरफा

आदेश दिनांक :– 01.11.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत सरहद मौजा ग्राम भांडियावास पटवार हल्का मूंगडा भूअभिलेख निरीक्षक बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1643/171 रकबा 02 बीघा किस्म बारानी अव्वल में स्थित है । प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के चारों तरफ खसरा संख्या 180, 1519/171, 1528/170 के खसरान की खातेदारी भूमि विप्रार्थीगण की जायदाद स्थित है ।

विप्रार्थी सख्या 1 ता 3 विवादित भूमि के सेढा पडोसी है। अभी वर्तमान में जमीन की किमतो में बढोतरी होने के कारण प्रार्थी के उक्त आराजी खसरा [illegible] कृषि भूमि के चारो ओर माठ एवं मेडबंदी को तोडने तथा उक्त विप्रार्थीगण द्वारा [illegible] की उक्त मेडबंदी को जगह–जगह अतिक्रमण कर हडपने की आमदा रहते है। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि की नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.12 18:54:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण को जारी रजिस्ट्रर्ड नोटिस डाक रसीदे पेश की गई बावजूद सुनवाई का

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गयी ।

प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण खातेदारी खेत के सेढा पडोसी है जिनके मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है. इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थी खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसके सम्बन्ध मे ग्राम भाडियावास हल्का पटवारी मुंगडा से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी 2079–82 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) खसरा नं. 1643/171 पेश की है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की नेखमबंदी करवाने के आदेश फरमाएं।

हमने विद्ववान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली एवं पत्रावली संलग्न राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया । बाद गौर प्रार्थीगण खातदेार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं पत्रावली के संलग्न सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि का खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि का नेखमबंदी कराने का हकदार भी है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भांडियावास पटवार हल्का मुंगडा भूअभिलेख निरीक्षक बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1643/171 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि नेखमबंदी करने से पूर्व पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित करते हुए उनकी उपस्थित में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत कर विवादित भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावे । पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। मौका कमिश्नर शुल्क प्रार्थी के द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(हस्ताक्षर)

(विवेक व्यास)

उप खण्ड अधिकारी

(S.D.O.) बालोतरा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा)

आज दिनांक 01.11.2022 को आदेश लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.12 18:54:32 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा